न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 278 / 2023

अनवान : –

1. दर्शनसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जीना सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
2. मन्दरसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।
3. सुमन पत्नी सरजीत जाति जाट निवासी साहीवाला तहसील टिब्बी।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय　　　　　　दिनांक: 19/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गैरसायलान की साझा खाता की कृषि भूमि रोही मौजा चक 17 के. एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 42/42 के प.न. 292/380 के मु.न. 39 के किला नं. 1/1 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1/2 की 0.2270 हैक्टर 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 2/2 की 0.2280 हैक्टर, 3/1 की 0. 0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 3/2 की 0.2280 हैक्टर, 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर, एवं किला नं. 9 व 10 की 0. 5060 हैक्टर किला नं. 23 ता 25 की 0.7590 हैक्टर भुमि कुल तादादी 2.2770 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सायल व गैरसायलान की अन्य काश्तकारो के साथ शामिल खाता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि सायल के पिता के नक्षत्रसिंह की मृत्यु के बाद विरास्तन उसके वारिसान सायल व गैरसायलान की अन्य सहखातेदारो के साथ दर्ज हुई जमाबन्दी में दर्ज सभी काश्तकारो का पूर्व में कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ है और उसी प्रकार भूमि कब्जा काश्त में रहती थी। रोही मौजा चक 17 के एन.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 42/42 की कुल तादादी 2.2770 हैक्टर भूमि में सायल अकेला 2/9 हिस्सा, गैरसायल सं. 1 अकेला 2/9 हिस्सा एवं गैरसायल सं. 2 अकेला 2/9 हिस्सा गैरसायला सं. 3 अकेली 1/9 हिस्सा भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार है एवं वादग्रस्त भूमि का सायल मुताबिक हक व हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार गैरसायलान से खाता व लगान अलग–अलग करवा पाने की अधिकारी है।

सायल व गैरसायलान में वर्तमान में सींव डोल व अबयाना सम्बधी तनाजा रहने लगा है आये दिन गैरसायलान सायल से झगड़ा करते है वादी वृद्ध व्यक्ति है गैरसायलान उसकी सुधारी एवं कब्जा की गई भूमि जो पूर्व में सायल को उसके पिता के द्वारा मुताबिक हक व हिस्सा के अनुसार बंटवारा करके दी हुई भूमि है जो रोड के बिलकुल नजदीक है उसको बिना खाता विभाजन करवाये ही गैरसायलान विक्रय कर रहे है जब तक खाता शामिल होता है तब तक प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच पर प्रत्येक हक व हिस्सा होता है यदि ऐसा करने में गैरसायलान कामयाब हो जाता है तो इससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सायल को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा। इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि का जब तक खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं हक व हिस्सा के अनुसार अलग–अलग नही हो जाता है तो तब वादग्रस्त भूमि को गैरसायलान रहन/बैय न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील वादी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी केता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 42/42 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी [illegible]तों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद [illegible] दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी वि[illegible] भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested